न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं

बनाम

मुकदमा नम्बर :- /

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		दिनांक 14/6/24 को पेश हो। ह०
	14/6/24	व०कि० उप० वादी अधि० द्वारा रिपोर्ट TDR पर आपत्ति जाहिर की। पत्रावली वास्ते बहस TDR रिपोर्ट हेतु दिनांक 20/6/24 को पेश हो। ह०
	20/6/24	व० वादी उप०। प्रतिवादी अनुपस्थित हैं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधि० वादी की बहस सुनी गई। TDR चौमूं की रिपोर्ट का पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक TDR विवादित भूमि जो०मु० रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर सार्वजनिक रास्ते के उपयोग उपभोग किया जा रहा है। तथा खाता नं० 1 में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं [illegible] किया जाकर खारिज [illegible], विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर रजिस्टर हो। तथा दाखिल दफ्तर हो। ह०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर

पीठासीन अधिकारी -रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-6/2/99

उनवान

1. भैरु पुत्र ईसर (मृतक दौराने दावा)
   1/1. कौशल्या पत्नी स्व0 भैरु
   1/2. प्रकाश पुत्र स्व0 भैरु
   1/3. कानाराम पुत्र स्व0 भैरु
   1/4. सुरेश पुत्र स्व0 भैरु
   1/5. रुकमा देवी पुत्री स्व0 भैरु
2. जगदीश पुत्र भींवा
3. धन्ना पुत्र तेजा

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीगण

बनाम

1. नानगा पुत्र नीला उर्फ नोल्या ((मृतक दौराने दावा)
   1/1. प्रभुदयाल पुत्र नानगा
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रभुदयाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी त0 चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अ0 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 20.06.2024

वादीगण ने उक्त वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं, में भूमि गत खसरा नम्बर 2033 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वादीगण की खातेदारी तथा कब्जेकाश्त की भूमि थी। क्षेत्र का वर्तमान बन्दोबस्त होने पर गत खसरा नम्बर 2033 के वर्तमान खसरा नम्बर 1535, 1536, 1537, 1541 एवं 1543 बनाये गये खसरा नम्बर 1543 के अलावा शेष खसरा नम्बर तो वादीगण की खातेदारी में अंकित कर दिये गये किन्तु खसरा नम्बर 1543 कोवादीगण की खातेदारी में दर्ज न कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जबकि मौके पर न कोई रास्ता पूर्व में था और न ही वर्तमान में है। भू-प्रबन्ध विभाग को किसी की भूमि का रकबा कम करने या मानचित्र [illegible] प्रकार के संशोधन का कोई अधिकार नहीं है समस्त कार्यवाही अवैध व बिना अधिकार के [illegible] निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि के दक्षिण दिशा में है। प्रतिवादी संख्या 1 जो अत्यन्त ही चतुर व्यक्ति था ने वादीगण की खातेदारी की भूमि में

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44.37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दिखाये गये रास्ते की भूमि को अपने खेत में सम्मिलित करने की गरज से मानचित्र में वादीगण की खातेदारी की भूमि में दिखाये गये गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1543 की भूमि में उत्तर दिशा की और तहसील कर्मचारियों से साज कर सीमांकन के बहाने नया रास्ता कायम कराना चाहता है जिसको उसकों कोई अधिकार नहीं है। जो रकबा वर्तमान बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 1536, 1537, 1541 को जो रकबा दिया गया है वह मानचित्र के हिसाब से सही नहीं है। खसरा नम्बर 1543 को जो रास्त दिखाया गया है तथा मानचित्र में खसरा नम्बर 1543 की दक्षिणी सीमा तक वादीगण का खेत है तथा सीमा के सम्मिलित करने से ही रकबा सही बैठता है। जिसकी जानकारी वादीगण को माह नवम्बर 1998 को रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद हुई। वादीगण ने प्रतिवादी को तथा कथित खसरा नम्बर 1543 को अपने खेत में न मिलाने तथा वादीगण के उक्त नम्बर में रास्ता न निकालने के लिये 29.11.1998 को कहा तो उसने 1543 की भूमि को अपनी भूमि होना तथा वादीगण के खेत में से नया रास्ता निकालने की धमकी दी अतः यही वाद हेतु उत्पन्न होकर वाद अधिकार घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ तथा वादीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 1543 को गलत ढंग से गैर मुमकिन रास्ता दौराने भू–प्रबन्ध दर्ज करने तथा भू–प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 जो कि अब सहायक भू अभिलेख अधिकारी भी है जो कानूनी मंशा के अनुसार पक्षकार बनाया गया है। मानचित्र की उकत भूल के कारण प्रतिवादी तहसील कर्मचारियों से मिलकर वादीगण की भूमि में नया रास्ता निकालने हेतु तत्पर है यदि वह नया रास्ता निकाल लेता है तो वादीगण को जो क्षति होती है उसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो सकेगी अतः वादीगण के लिये प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद हेतु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी की भूमि से मानचित्र के अनुसार रकबा दर्ज न करने तथा खसरा नम्बर 1543 की भूमि की किस्म परिवर्तन कर नया रास्ता निकालने तथा निषेधाज्ञा बाबत् वादीगण की भूमि में नया रास्ता कायम कराने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ।

वादीगण ने वादी प्रस्तुत कर इस प्रकार अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण विरूध प्रतिवादी बाबत् अधिकार घोषणा डिक्री किया जाकर वादीगण का गत मानचित्र के अनुसार वर्तमान मानचित्र में संशोधित किया जाकर खसरा नम्बर 1543 के रकबे को वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर किस्म बारानी दर्ज की जावें तथा वर्तमान बन्दोबस्त के मानचित्र में साबिक मानचित्र अनुसार व मौके के अनुसार रकबें की दुरुस्ती की जावें। वाद वादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को पाबन्ध [illegible] कि वे खसरा नम्बर 1543 पर कब्जा न करें तथा वादीगण की खातेदारी की भूमि में नया रास्ता न निकालें तथा वादीगण के कब्जेकाश्त में अनुचित हस्तक्षेप न करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि मौके पर रास्ता कदमी से रहा है जो कि सार्वजनिक है इसलिा गैर मुमकिन रास्ता दर्जशुदा है जिस हेतु भू-प्रबन्ध विभाग को कानूनी अधिकार है। रास्ता पहले से मौजूद है तो नये रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भू-प्रबन्ध कार्य से वादीगण किसी तरह से नाराज है तो उनको सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए थी जो वादीगणों द्वारा नहीं की गई जो मुख्य एवं प्रभावकारी अनुतोष वादीगण द्वारा अभित्यजित कर दिया गया है ऐसे में वादीगणों को वाद में वर्णित वेकल्पित अनुतोष नहीं दिया जा सकता है अतः वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है।

हमने प्रकरण में वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मुताबिक तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट राजस्व ग्राम चीथवाडी के वर्तमान खसरा नम्बर 1535, 1536, 1537, 1541 किता 4 का कुल रकबा 1.37 हैक्टैयर भू-प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल 2046 से 2065 के गत खसरा नम्बर 2033 किता 1 रकबा 1.37 हैक्टेयर से बने है वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर के खातेदार जगदीश पुत्र भींवा हिस्सा 1/4 जाति जाट राहिन हिस्सा 1/4 थार ग्रामीण बैंक शाखा चीथवाडी, धन्ना पुत्र तेजा हिस्सा 1/2 जाति जाट राहिन हिस्सा 1/2 केनरा बैंक जैतपुरा, भैरु पुत्र ईसरा हिस्सा 1/4 जाति जाट राहिन हिस्सा 1/4 प. सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक जयपुर शाखा चौमूं के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा खसरा नम्बर 1543 किता 1 रकबा 0.20 हैक्टेयर मिलान क्षेत्रफल 2046 से 2065 के गत खसरा नम्बर 1914 मि0 रकबा 0.20 हैक्टेयर से बना है। तथा जमाबन्दी वर्ष 2055 से 2058 के अनुसार खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म पगडंडिया तथा रास्ते के रुप में दर्ज है। वर्तमान में खसरा नम्बर 1543 चालू रास्ता है तथा आवागमन के रुप में उपयोग हो रहा है। राजस्थान सरकार के नाम खाता संख्या 1 में दर्ज होने एवं राजहित को मध्यनजर रखते हुए पोषणीय नहीं होने के कारण वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः विवादित भूमि गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर सार्वजनिक रास्ते के उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा खाता नम्बर 1 में दर्ज रिकॉर्ड है जिससे वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–6/2/99

उनवान

1. भैरु पुत्र ईसर (मृतक दौराने दावा)
   1/1. कौशल्या पत्नी स्व0 भैरु
   1/2. प्रकाश पुत्र स्व0 भैरु
   1/3. कानाराम पुत्र स्व0 भैरु
   1/4. सुरेश पुत्र स्व0 भैरु
   1/5. रुकमा देवी पुत्री स्व0 भैरु
2. जगदीश पुत्र भींवा
3. धन्ना पुत्र तेजा

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. नानगा पुत्र नीला उर्फ नोल्या ((मृतक दौराने दावा)
   1/1. प्रभुदयाल पुत्र नानगा
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रभुदयाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी त0 चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अ0 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

मुकदमा नं0:–06/02/99 निर्णय दिनांक:– 20.06.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर सार्वजनिक रास्ते के उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा खाता नम्बर ... रिकॉर्ड है जिससे वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:37 IST
Reason: SelfAttested

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें

Scanned with OKEN Scanner

आज बतारीख हस्ताक्षर ...

...रत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 20.06.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूं

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner